

मध्य प्रदेश शासन,
आदिम जाति कल्याण विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ-3-3/2013/25-2/2104
प्रति,

भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर, 2013

आयुक्त,
आदिवासी विकास म.प्र.
भोपाल ।

वित्तीय वर्ष 2013-14 में 20 कन्या शिक्षा परिसरों की स्थापना बायत- मा. मुख्य मंत्रीजी की
घोषणा क्रमांक-ए 2665
संदर्भ:- आपकी यू.ओ.टी.प क्रमांक 7861, दिनांक 5.4.2013, यू.ओ.टी.प क्रमांक 16362, दिनांक
14.8.2013 एवं मान. मंत्रीजी की टीप दिनांक 11.9.2013

12 वीं पंचवर्षीय योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में 20 नवीन कन्या शिक्षा परिसरों को
आदिवासी विकास खण्डों में वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर प्रदेश की अनुसूचित
जनजाति महिला साक्षरता 29.40 प्रतिशत से जिन विकासखण्डों की साक्षरता दर कम है, ऐसे महिला साक्षरता
वाले 20 विकासखण्डों में कन्या साक्षरता वृद्धि के लिये 20 आवासीय 245 सीटर कन्या शिक्षा परिसर
सहमति प्रदान की गई है। यह स्वीकृति मंत्रि-परिषद की बैठक दिनांक 28.8.2012 द्वारा कन्या शिक्षा
परिसरों की स्थापना एवं पद निर्माण का निर्णय लिया गया है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 में 20 कन्या शिक्षा परिसरों की स्थापना हेतु
राशि रुपये 17520 लाख (सत्रह हजार पांच सौ बीस लाख मात्र) की निम्नलिखित 20 कन्या शिक्षा
परिसरों की स्थापना एवं पद निर्माण की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

स.क्र	प्रस्तावित विकास खण्ड (मुख्यालय) का नाम	जिला
1	2	3
1	चौली	बैतूल
2	तामिया	छिन्दवाड़ा
3	बिछिया	मण्डला
4	सिवनी	सिवनी
5	बालाघाट	बालाघाट
6	मण्डला	मण्डला
7	डिण्डोरी	डिण्डोरी
8	उमरिया	उमरिया
9	अनूपपुर	अनूपपुर
10	शहडोल	शहडोल
11	आशापुर (वि.सं. खालवा)	खण्डवा
12	सिंगरौली	सिंगरौली
13	सीधी	सीधी

.....निरन्तर.....2

// 2 //

1	2	3
14	कटनी	कटनी
15	होशंगाबाद	होशंगाबाद
18	टिगरनी	हरदा
17	चकल्दी (वि.ख. नसरुल्लागंज)	सीहोर
	खरगोन	खरगोन
	बैहर	बालाघाट
20	पेटलावद	झाबुआ

3/ पद निर्माण की स्वीकृति

क्र.	पद का नाम	वेतनमान	एक कन्या शिक्षा परिसर पर होने वाला अनुमानित व्यय		20 नवीन कन्या शिक्षा परिसरों पर होने वाला अनुमानित व्यय	
			पद संख्या	राशि	पद संख्या	राशि
	आवर्ती व्यय					
1	प्राचार्य प्रथम श्रेणी	15600-39100+6600 ग्रेड-पे	01	4.72	20	94.40
2	व्याख्याता	9300-34800+3600 ग्रेड-पे	10	27.40	200	548.00
3	शिक्षक	9300-34800+3200 ग्रेड-पे	09	23.90	180	478.00
4	शिक्षक (संगीत)	9300-34800+3200 ग्रेड-पे	01	2.66	20	53.20
5	शिक्षक (क्राफ्ट)	9300-34800+3200 ग्रेड-पे	01	2.66	20	53.20
6	छात्रावास अधीक्षक 1 बालक + 1 कन्या	9300-34800+3200 ग्रेड-पे	02	5.31	40	106.20
7	पुस्तकालय सहायक	5200-20200+2400 ग्रेड-पे	01	1.62	20	32.40
8	सहायक शिक्षक तर्ग-3 विज्ञान	5200-20200+2400 ग्रेड-पे	03	4.86	60	97.20
9	लेखापाल	5200-20200+2400 ग्रेड-पे	01	1.62	20	32.40
10	पी.टी.आई.	9300-34800+3200 ग्रेड-पे	01	2.66	20	53.20
11	सहायक शिक्षक (कम्प्यूटर प्रशिक्षक)	5200-20200+2400 ग्रेड-पे	01	1.62	20	32.40
12	सहायक ग्रेड-3 (कम्प्यूटर प्रशिक्षित)	5200-20200+1900 ग्रेड-पे	01	1.51	20	30.20
13	प्रयोगशाला परिचायक	5200-20200+1800 ग्रेड-पे	03	4.46	60	89.20
14	भृत्य	कलेक्टर दर	03	1.78	60	35.60
15	रसोईया	कलेक्टर दर	04	2.37	80	47.40
16	जलवाहक	कलेक्टर दर	02	1.19	40	23.80
17	चौकीदार	कलेक्टर दर	02	1.19	40	23.80

...निरन्तर...3

//3//

उक्त व्यय निम्न बजट शीर्ष से विकलनीय होगा ।

4/ " मांग संख्या 41-मुख्यशीर्ष 2225-अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 277-शिक्षा 0762 कन्या शिक्षा परिसर 11 वेतन भत्ते 21 यात्रा भत्ता 22 कार्यालय व्यय 33-अनुरक्षण कार्य 34-सामग्री एवं पूर्तियों 41 छात्रवृत्ति एवं वृत्तियों वर्ष 2013-14 के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

विभाग द्वारा कन्या शिक्षा परिसरों के लिये वेतन भत्तों सहित बालिकाओं को दी जाने वाली शिक्षा, गणवेश, पोषण आहार, अध्यापन सामग्री, साज-सज्जा सामग्री, फर्नीचर, क्रिडा सामग्री, चिकित्सा, सांस्कृतिक गतिविधियों, शैक्षणिक भ्रमण की विभाग द्वारा परिशिष्ट "अ" पर प्रस्तावित नवीन दरों के आधार पर व्यय किया जायेगा ।

6/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 2-2/2002/निमय/चार, दिनांक 30.9.2002 के द्वारा पृष्ठांकन के प्रदत्त अधिकार एवं परियोजना परीक्षण समिति की बैठक दिनांक 29/05/2012 के तहत जारी की गई है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(संजीव श्रीवास्तव) 18-9-13

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

आदिम जाति कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर, 2013

पृष्ठा. क्र. एफ-3-3/2013/25-2/2105,
प्रतिलिपि-

- 1- निज सचिव, मान. मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी, आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल ।
- 2- निज सचिव, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल ।
- 3- महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
- 4- आयुक्त, कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन, भोपाल म.प्र. ।
- 5- वित्तीय सलाहकार, म.प्र.शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग भोपाल ।
- 6- संबंधित कलेक्टर, जिलाम.प्र. ।
- 7- संबंधित सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास/जिला संयोजक, आ.जा.क.....म.प्र. ।
- 8- संबंधित जिला कोषालय अधिकारी जिला.....म.प्र. ।
- 9- प्रभारी कम्प्यूटर शाखा- कार्यालय आयुक्त, आदिवासी विकास म.प्र.भोपाल की ओर इस निर्देश के साथ कि वे उक्त आदेश को विभागीय वेब-साईड पर अपलोड करने का कष्ट करें ।
- 10- गार्ड फाईल ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

आदिम जाति कल्याण विभाग

परिशिष्ट - "अ"
बालिकाओं को दी जाने वाली सुविधाएँ
प्रति संस्था बालिकाओं की संख्या : 245 सीट

संचालित कक्षाएँ	दी जाने वाली सुविधाएँ	दर	वार्षिक व्यय प्रति संस्था	विशेष
अ. अनावर्ती व्यय				
बालिकाओं को दी जाने वाली सुविधा	6-12 शिष्यवृत्ति	815/- मासिक	19,96,750	विभाग द्वारा समय समय पर संशोधित
	गणवेश (दो सेट)	815/- वार्षिक	1,99,675	एक माह की शिष्यवृत्ति के बराबर
	पौषण आहार	200/- मासिक	4,90,000	विभाग द्वारा समय समय पर संशोधित
	अध्ययन सामग्री	1000/- वार्षिक	2,45,000	शाला प्रतिशत व्यय
	साज-सज्जा सामग्री	2,000/- वार्षिक	4,90,000	वार्षिक व्यय
सैनिक सुविधा	फर्नीचर उपकरण	1,00,000/- वार्षिक	3,00,000	आवश्यकता अनुसार
	मनोरंजन / खेलकूद सामग्री	50,000/- वार्षिक	50,000	वार्षिक व्यय
	विद्युत एवं पंचजल	2,50,000/-	20,00,000	वार्षिक व्यय
	चिंता, परीक्षा, दवायें, Toiletries, आकस्मिक चिकित्सा व्यय	1,20,000/-	1,20,000	निगमित
	सांस्कृतिक/बौद्धिक गतिविधियाँ	25,000/-	25,000	वर्ष में कम से कम दो बार
	शैक्षणिक भ्रमण /कैम्प/व्यावसायिक कौशल विकास प्रशिक्षण	50,000/-	50,000	वर्ष में कम से कम एक बार
आवास किराया	भवन निर्माण होने तक प्रति संस्था 23500/- प्रतिमाह	23500/-	2,82,000	कलेक्टर द्वारा किराया निर्धारण प्रमाण पत्र के आधार पर देय
योग सुविधा			72,48,425	
वेतन भत्ते	वेतन भत्ते	91,53,000/-	91,53,000	
			164,01,425	
अ. अनावर्ती व्यय				
भवन		1242,06,000	1242,06,000	परियोजना क्रियान्वयन इकाई द्वारा प्रथम आकलन अनुसार
शाला हेतु फर्नीचर उपकरण		3,00,000/-	3,00,000	आवश्यकतानुसार
योग अनावर्ती व्यय			1245,06,000	
महायोग			1409,07,425	

* विशिष्ट संस्थाओं में अध्ययनरत कक्षा 1 से 10 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को शिष्यवृत्ति के अतिरिक्त राज्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ भी मिलता रहेगा।

(उमाकांत उमराव)

आयुक्त

आदिवासी विकास, म.प्र.